२०।४।२२ पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी द्वारा विपक्षीगण के समक्ष डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। विपक्षीगण नं0 1 विपक्षीगण को कोई समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयीं बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.23 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 190 / 2022 (GCMS No. 2022/337)

प्रार्थीगण :–

1. मूलाराम वल्द केहराराम
   कौम जाट साकिन हूडों का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पालाराम वल्द खंगाराराम
2. खींया वल्द रूपाराम
3. धमण्डाराम वल्द आदाराम
4. पोला वल्द रूपाराम
5. जगदीश नेहरा वल्द ठाकराराम
6. डूंगराराम वल्द गुमनाराम
7. गुलछाराम वल्द रूपाराम
8. दमाराम नेहरा वल्द ठाकराराम
9. दलूदेवी पत्नी ठाकराराम
10. नेनाराम नेहरा वल्द ठाकराराम
11. मंगनीदेवी पत्नी गुमनाराम
12. हरजीराम वल्द आदाराम
13. हेराज वल्द रूपाराम
14. अचलाराम वल्द पेमाराम
15. छोभी पत्नी रामाराम
16. पूराराम वल्द पेमाराम
17. रामाराम वल्द पेमाराम
18. सुखदेव वल्द रामाराम
19. भारता वल्द नरसिंगाराम
20. हरखु पत्नी नरसिंगाराम
21. भूराराम वल्द हिम्ताराम
22. मगाराम वल्द हिम्ताराम
23. रम्भादेवी पत्नी हिम्ताराम
24. प्रभुराम वल्द भगवाना
25. भेराराम वल्द भगवाना
26. रेखाराम वल्द भगवाना
27. हेमी पत्नी भगवाना
28. अणसीदेवी पत्नी पेमाराम
29. खेमाराम वल्द डालूराम
30. गेनी पत्नी गोरखाराम
31. धमण्डाराम वल्द जगमालराम
32. घूनाराम वल्द जगमालराम
33. घेनाराम वल्द जगमालराम
34. जगदीश वल्द गोरखाराम
35. धानाराम वल्द गोरखाराम
36. देवाराम वल्द खींयाराम
37. प्रभुराम वल्द जगमालराम
38. बाबूलाल वल्द पेमाराम
39. भूराराम वल्द जगमालराम
40. मानाराम वल्द डालराम
41. मोहनलाल वल्द डूंगराराम
42. वनू पत्नी मोडाराम
43. हतुदेवी पत्नी जगमालराम
44. हेमाराम वल्द जगमालराम
45. हेमी पत्नी डूंगराराम
46. पारूदेवी पत्नी खींयाराम
47. रामाराम पुत्र खींयाराम ना0वली माता पारूदेवी पत्नी खींयाराम
48. चमादेवी पत्नी पोकरराम
49. मुकेश पुत्र पोकरराम ना0वली माता चमादेवी पत्नी पोकरराम
    कौम जाट साकिन हूडों का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.23 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी / नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. एकतरफा – विप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 20.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के खिलाफ बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत :– 2074–2077 – जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा हूडों का तला के खेत खसरा नम्बर 315 / 1, 308 / 1 रकबा क्रमशः 16.5111, 2.3229 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** सरहद मौजा हूडों का तला के खेत खसरा नम्बर 315 / 1, 308 / 1 रकबा क्रमशः 16.5111, 2.3229 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500 / – शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर [illegible] इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर [illegible] पालना [illegible] प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.23 10:08:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20/12/22 को मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी